अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 3522/ब्यूरो/79

भक्ति देव मुखर्जी
उप–सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार,
सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो अनुभाग–1
लखनऊ, दिनांक 16 अक्टूबर, 1979।

प्रिय महोदय,

प्रदेश की समस्त सरकारी कम्पनियों के प्रबन्ध निदेशकगणों को संबोधित शासन के परिपत्र संख्या 415/7-जी० सी०/75, दिनांक 29 जुलाई, 1975 में आप से अपेक्षा की गयी थी कि आप अपनी कम्पनी के आर्टिकिल्स आफ एसोसियेशन में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को निदेश देने हेतु अधिकार प्रदान करने विषयक उक्त पत्र में उल्लिखित खण्ड को शामिल करने की कार्यवाही करें तथा उसी प्रकार के प्राविधान को अपनी सब्सीडियरी कम्पनी के आर्टिकिल्स में भी शामिल किये जाने की कार्यवाही करें। साथ में उक्त परिपत्र में यह भी अपेक्षा की गयी थी कि भविष्य में जो कम्पनी आप स्थापित स्थापित करायें उनमें कृपया यह ध्यान रखें कि उपरोक्तानुसार प्राविधान उनके आर्टिकिल्स में भी रखे जांय। उक्त परिपत्र के संदर्भ में कृपया मेरे अ० शा० पत्र सं० 2332/ब्यूरो/75-31 (75)/74, दिनांक 12 सितम्बर, 1975 (प्रतिलिपि सुगम संदर्भ हेतु संलग्न है) का भी अवलोकन करें जिसमें आपसे अनुरोध किया गया था कि आर्टिकिल्स आफ एसोसियेशन में उपरोक्तानुसार प्राविधान शामिल करने के उपरान्त आप कृपया इसकी सूचना सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो अनुभाग को भी देने का कष्ट करें।

2–आपसे अनुरोध कि शासन को पुष्टि हेतु यह सूचित करने का कष्ट करें कि आपकी कम्पनी के आर्टिकिल्स आफ एसोसियेशन में उपरोक्तानुसार प्राविधान शामिल कर लिया गया है तथा यह भी सूचित करें कि उसी प्रकार का प्राविधान आपकी सब्सीडियरी कम्पनी (यदि कोई हो) के आर्टिकिल्स में भी शामिल किया गया है या नहीं। कृपया उपरोक्त विषय में सूचना होलडिंग कम्पनी तथा सब्सीडियरी कम्पनी के विषय में अलग–अलग यथासंभव शीघ्र भेजने का कष्ट करें। यदि होल्डिंग/सब्सीडियरी कम्पनी के आर्टिकिल्स में उपरोक्तानुसार प्राविधान नहीं है तो इसे शामिल किये जाने की तुरन्त कार्यवाही करें तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

पदेश की समस्त सरकारी कम्पनियों के
प्रबन्ध निदेशकगण (नाम से) ।

भवदीय,
भक्ति देव मुखर्जी।